

## **Regarding need for mandatory scrutiny of court cases where judgments are against the Government Policies-Laid**

श्री अतुल गर्ग (गाजियाबाद) : पूरे देश में शासन-प्रशासन बनाम आम नागरिकों/व्यवसायियों के बीच लाखों मामले विभिन्न मंचों पर लंबित हैं। वर्षों तक मुकदमेबाज़ी चलने के बाद जब निर्णय आते हैं, इन मामलों में से लगभग आधे या उससे अधिक मामलों के निर्णय सरकार के विरुद्ध आते हैं। तो यह आवश्यक है कि इन मामलों की समीक्षा अनिवार्य रूप से की जाए। अनेक मामलों में सरकारी अधिकारियों द्वारा निर्णय न लेना, गलतफ़हमी में निर्णय लेना, लापरवाही से निर्णय लेना, जानबूझकर गलत निर्णय लेकर नागरिकों को प्रताड़ित करना, बिना कारण आपत्तियाँ लगाना, बार-बार अनावश्यक स्पष्टीकरण माँगना। ऐसी प्रक्रियाओं के कारण न सिर्फ नागरिकों का समय व धन नष्ट होता है, बल्कि सरकार को भी अनावश्यक मुकदमों में पराजय एवं वित्तीय हानि उठानी पड़ती है। अतः सुझाव है कि पीड़ित पक्ष की शिकायत को प्राथमिकता देते हुए कम से कम 5% से 10% मामलों की अनिवार्य स्कूटनी /ऑडिट की जाए, जिनमें सरकार के विरुद्ध निर्णय आए हों। अंततः यह प्रक्रिया सरकार और जनता दोनों के हित में होगी तथा मुकदमेबाज़ी का बोझ कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।